

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक: 18/08/2020


:- आदेश :-

टपूकडा जिला अलवर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने एवं उक्त महाविद्यालय हेतु 21 पदों को स्थानान्तरित किए जाने के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. मा. मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की पालना में खोले गए राजकीय महाविद्यालय, भिवाड़ी को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर राजकीय कन्या महाविद्यालय टपूकडा जिला अलवर खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131900209 दिनांक 20.08.2019 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, भिवाड़ी के लिए बजट मद 2202-03-789-(01)-[00] में स्वीकृत 21 पदों को राजकीय कन्या महाविद्यालय टपूकडा जिला अलवर के लिए बजट मद 2202-03-103-(03)-[00] (स्त्रियों के लिए) में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102003608 दिनांक 10.08.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/92)/आयो/आकाशि/2020-21/ 337 दिनांक: 21 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि टपूकड़ा जिला अलवर में खोले गये नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय को बिना विलम्ब शुल्क संबद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
12. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को कार्यव्यवस्थार्थ लगाने का श्रम करें।
13. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करवाने की कार्यवाही करने का श्रम करें।
14. प्राचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
15. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।